उत्तर प्रदेश शासन

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-1

संख्या-06/2019/27/14-1-2019-43/2017

लखनऊः दिनांक 11 जनवरी, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राज्यपाल लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 की संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त वेतनमान रू0-9300-34500 ग्रेड पे रू0-4800/- लेवल-8 इन द पे मैट्रिक्स में मौलिक रूप से कार्यरत निम्नलिखित क्षेत्रीय वनाधिकारियों को राज्य वन सेवा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक वन संरक्षक (समूह-ख) के पद पर वेतनमान रू0-15600-39100, ग्रेड पे रू0-5400/- लेविल-10 इन दे ने मैट्रिक्स, में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से पदोन्नति किये जाने का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैः-

क्रं0 सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	नाम (सर्व श्री)
1	133	अशोक चन्द्रा
2	134	सत्य प्रकाश सिंह
3	135	रण विजय सिंह
4	135	नरेन्द्र कुमार सिंह

2- उक्त तालिका में उल्लिखित अधिकारियों को उ0प्र0 वन सेवा नियमावली-1993 के नियम-20(1) के प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक वन संरक्षक के पद पर 02 वर्षीय परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3- उक्त तालिका में उल्लिखित अधिकारियों की उक्त पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उनके पद एवं वेतनमान के अनुरूप उनकी अन्यत्र तैनाती का आदेश पृथक किये जायेगें ।

कल्पना अवस्थी

प्रमुख सचिव।

संख्या--06/201927(1)/14-1-2019-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-28/05/ एस-2/पी/2017- 18, दिनांक 11.09.2018 व संख्या-44/06/एस-2/पर/2018 -19, दिनांक 11.09.2018 के संदर्भ में ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
4- समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक द्वारा- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, सामूहिक बीमा निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
7- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज (इलाहाबाद) को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
8- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
9- कम्प्यूटर सहायक को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in